कार्यालय कलेक्टर जिला--।डिण्डौरी

क्रमांक/ /सहा.वित्त/2013 डिण्डौरी। दिनांक सितम्बर 2013

//निविदा सूचना//

डिण्डौरी जिले के समस्त शासकीय विभागों हेतु आगामी एक वर्ष के लिए वर्ष 2010 एवं उसके बाद के विभिन्न मॉडल जैसे स्कार्पियों, बोलेरो, इनोवा, जाइलो आदि गाड़ियों के किराये पर लिए जाने हेतु ट्रेवल एजेन्ट/गाड़ी मालिकों से शील बंद लिफाफे में निविदाये आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 16.9.2013 को सायं 3:00 बजे तक कार्यालय के वित्त शाखा में प्रस्तुत किए जावें, निविदायें दिनांक 16.9.2013 को सायं 4 बजे खोली जायेगी। निविदा फार्म एवं शर्ते जिले की वेवसाइड www.dindori.nic.in में देखी जा सकती है, तथा आवेदन डाउन लोड किया जा सकता है।

कलेक्टर
जिला–डिण्डौरी

निविदा आवेदन प्रारूप

1. वाहन का प्रकार (मॉडल का नाम) :–.....
2. निर्माण वर्ष :– .....
3. पंजीयन क्रमांक :– .....
4. सीटिंग क्षमता :– ..... 4+1 / 6+1 / अन्य
   यदि अन्य हो तो विवरण दे :–.....
5. फ्यूल मोड :– ..... पेट्रोल / डीजल / एल.पी.जी. / अन्य
   यदि अन्य हो तो विवरण दें :–.....
6. वाहन फेसीलिटी :– .....
7. नेशनल परमिट है / नहीं :–.....

क्र.	श्रेणी		फीचर्स तथा वाहन का नाम	भाड़ा (राशि रू.में)	टीप
1	1 दिवस	ड्रायवर सहित	एसी		
			नॉन एसी		
		ड्रायवर रहित	एसी		
			नॉन एसी		
2	3 दिवस	ड्रायवर सहित	एसी		
			नॉन एसी		
		ड्रायवर रहित	एसी		
			नॉन एसी		
3	7 दिवस	ड्रायवर सहित	एसी		
			नॉन एसी		
		ड्रायवर रहित	एसी		
			नॉन एसी		
4	1 माह	ड्रायवर सहित	एसी		
			नॉन एसी		
		ड्रायवर रहित	एसी		
			नॉन एसी		
5	3 माह	ड्रायवर सहित	एसी		
			नॉन एसी		
		ड्रायवर रहित	एसी		
			नॉन एसी		
6	6 माह	ड्रायवर सहित	एसी		
			नॉन एसी		
		ड्रायवर रहित	एसी		
			नॉन एसी		
7	1 वर्ष	ड्रायवर सहित	एसी		
			नॉन एसी		
		ड्रायवर रहित	एसी		
			नॉन एसी		

आवेदक के हस्ताक्षर

किराये पर वाहन हेतु निविदा शर्तें

शर्तें :–

1. प्रत्येक निविदा आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क राशि 100.00 तथा प्रतिभूति के रूप में रूपये 1000/– एक हजार का डिमांड ड्राफ्ट कलेक्टर डिण्डौरी के नाम से जमा किया जाना होगा।
2. प्रत्येक निविदा के साथ अधिकृत ट्रेवल ऐजेन्ट अथवा गाड़ी का मालिकाना हक संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. सभी वाहन 24X7 के लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. अगर निविदाकर्ता किसी दिन गाड़ी उपलब्ध नहीं करा पाता तब उन दिनों का किराया राशि मासिक किराये की राशि से कटौती की जायेगी।
5. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई कार्यवाही नहीं किया जायेगा।
6. वाहन प्रदायकर्ता को अनुबंध रहते समय सुरक्षा निधि के रूप में एक माह के किराये की बराबर की राशि कार्यालय जिला पंचायत डिण्डौरी में जमा करानी होगी। जो अनुबंध समाप्ति पर वापसी योग्य होगी।
7. वाहन मालिक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में कराना होगा। प्रमाणित लॉगबुक की प्रतिलिपि के साथ देयक प्रतिमाह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. वाहन तीन वर्षो से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
9. वाहन में प्रतिलीटर औसत ईधन खपत 10 कि.मी. प्रति लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम औसत होने पर वाहन प्रदाता पर क्षतिपूर्ति की जवाबदारी रहेगी।
10. किराये की अवधि में डीजल (ईधन) को छोड़कर वाहन के संधारण में होने वाली टूट–फूट, बैटरी, टायर–ट्यूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
11. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थानों में भी ले जाया जायेगा। वाहन के ड्रायवर (चालक) को यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश–निर्देश का पालन करें।
12. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में अच्छी स्टेप्नी अनिवार्य रूप हो तथा चारों पहिए टायर–ट्यूब अच्छे होना चाहिए व माईलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य है। जिसकी जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
13. वाहन मय ड्रायवर (चालक) के उपलब्ध कराया जावेगा। जिसके पास नियमानुसार वाहन चालन का वैद्य ड्रायविंग लाईसेंस होना आवश्यक है। ड्रायवर का वेतन भत्ता व अन्य खर्च जिसमें दैनिक एवं यात्रा भत्ता भी शामिल है। वाहन प्रदाता स्वयं वहन करेगा।
14. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं रहेगा।
15. वाहन प्रदाता को हर समय अपने ड्रायवर को कार्य के लिए तैयार रहने का आदेश देना होगा। वाहन मय ड्रायवर को उपलब्ध कराया जावेगा। जिसके पास नियमानुसार वाहन चालन का वैद्य ड्रायविंग लाईसेंस होना आवश्यक है। ड्रायवर का वेतन भत्ता व अन्य खर्च जिसमें दैनिक एवं यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदाता स्वयं वहन करेगा।
16. वाहन प्रदाता के ड्रायवर (चालक) को वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लाईसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने आवश्यक होंगे। वाहन टैक्स पैड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व में होना चाहिए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्चे वहन करेगा।
17. वाहन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
18. रास्ते में वाहन खराब (fail) की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः 2 घंटे में सुधार कराकर उपयोग करने हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। इससे 2 घंटे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस का किराया नहीं दिया जावेगा। वाहन खराब (fail) होने के स्थान में गैराज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा।
19. वाहन प्रदाता को उपयोगकर्ता अधिकारी की मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार लगातार तीन दिवस तक वाहन प्रदाय नहीं किये जाने एवं शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा जप्त की जा सकेगी। यदि अनुबंध अवधि के दौरान किसी कारणवश वाहन प्रदाता वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी।
20. माईलोमीटर की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाए जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क से मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जावेगा।
21. वाहन टैक्सी परमिट का होना अनिवार्य है।
22. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने के सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर जिला डिण्डौरी का होगा।

कलेक्टर
जिला डिण्डौरी